



**पंजीकृत कार्यालय:** सोलिटैड कार्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, बुरु इरमोविन्दजी रोड, (अन्धेरी-घाटकोपर लिंक रोड), चकाला, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-400093  
टेलीफोन नं.: (022) 66572700 वेबसाइट: www.sicomindia.com

## सार्वजनिक नीलामी एवं बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेसी) के अधीन सिर्कॉम लिमिटेड (SICOM LIMITED) (जिसका उल्लेख आगे "सिर्कॉम" के तौर पर किया गया है) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिर्कॉम (SICOM) की बकाया राशियों की वसूली के लिए "जैसे है जहाँ है तथा जो कुछ है तथा बिना वसूली अधिकार आधार" पर निम्नलिखित बंधक रखी गई संपत्ति के मामले में सिर्कॉम के मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में इच्छुक पार्टियों से 19 सितम्बर, 2017 को अप. 2.00 बजे प्रस्ताव/ बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

कर्जदार/ गारंटर का नाम	बंधककर्ता का नाम	संपत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	31.07.2017 को सिर्कॉम की बकाया राशि, ब्याज तथा खर्च
यूनोटैक लि.	यूनोटैक लि.	भूमि, जिसका खेवट नं. 62, खाता नं. 92, मुस्ताली नं. 7, किला नं. 3/2 (3-17) जिसमें 3 बीघा 17 बिस्वास शामिल है एवं किला नं. 4(3-16), जिसमें 3 बीघा 16 बिस्वास शामिल है, कुल एरिया 7 बीघा 13 बिस्वास यानी 4.78 एकड़, जोकि गांव टीकरी, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में स्थित है।	रु. 29 करोड़	रु. 3 करोड़	रु. 44,42,40,242/-

### नीलामी के नियम एवं शर्तें:

- नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सिर्कॉम लिमिटेड (SICOM LIMITED) के पक्ष में मुम्बई में देय राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित कमर्शियल बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में धरोहर राशि रु. 3 करोड़ जमा करानी होगी, जो कि बोली के असफल/सिर्कॉम द्वारा अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस लौटा दी जाएगी।
- डीडी/पे आर्डर के रूप में अपेक्षित धरोहर राशि के बिना प्राप्त होने वाले प्रस्ताव अवैध समझे जाएंगे तथा ऐसे बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नीलामी के बाद पहले उच्चतम बोलीदाता तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि आगामी प्रक्रिया के लिए रोक ली जाएगी एवं इसके बाद के उच्चतम बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापस लौटा दी जाएगी।
- बोली रु. 5 लाख के गुणजों में लगाई जाएगी।
- संपत्ति की बिक्री उपरोक्त सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी।
- संपत्ति की बिक्री "जैसे है जहाँ है तथा जो कुछ है तथा बिना वसूली अधिकार आधार" पर की जा रही है।
- नीलामी बिक्री, बिक्री के नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिसकी एक प्रति बोलीदाता सिर्कॉम लिमिटेड (SICOM LIMITED) के पंजीकृत कार्यालय या दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि बोलीदाता नियम एवं शर्तों की प्रति नहीं प्राप्त करे तो भी यह माना जाएगा कि उन्होंने प्राप्त कर ली है, पढ़ एवं समझ लिया है, उनकी जांच कर ली है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया है।
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोच्च ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई अन्य ऋणभार नहीं है। बोलीदाता उक्त संपत्ति के सम्बंध में किसी चार्ज, लिएन, करों तथा अन्य बकाया राशियों के बारे में सभी पक्षों से अपनी संतुष्टि कर लें। बोलीदाता को यह भी परामर्श दिया जाता है कि उक्त संपत्ति के बारे में अपनी यथोचित कोशिश कर लें। प्राधिकृत अधिकारी विक्रयाधीन संपत्ति के सम्बंध में किसी चार्ज, लिएन, ऋणभार, संपत्ति कर अथवा किसी की भी किसी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने अथवा नीलामी को आगे बढ़ाने/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।
- सफल बोलीदाता को हस्तांतरण/बिक्री प्रमाणपत्र के लिए देय प्रभार/शुल्क जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, अधिवक्ता का खर्च तथा सभी अन्य लागत, प्रभार एवं व्यय आदि, जो कि कानून के अनुसार लागू हों, का वहन करना होगा। यह क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह आयकर अधिनियम की धारा 194 I A के अधीन आयकर से संबंधित बिक्री राशि की 1% राशि का भुगतान करे तथा सिर्कॉम की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे आयकर का भुगतान सफल बोलीदाता को ही सिर्कॉम को प्रस्तावित मूल्य के अतिरिक्त करना होगा तथा सिर्कॉम किसी भी प्रकार की कटौती के बिना सम्पूर्ण बोली मूल्य प्राप्त करेगा।
- यह सर्फेसी एक्ट तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/गारंटर (गारंटर्स) के लिए एक नोटिस भी है।
- उच्चतम बोली की स्वीकृत सिर्कॉम लिमिटेड की स्वीकृति के अधीन होगी।
- बिक्री सिर्कॉम की अभिपुष्टि के अधीन होगी।
- सम्पत्तियों का निरीक्षण केवल पहले से समय लेकर 22 अगस्त से 25 अगस्त, 2017 के मध्य किया जा सकता है।
- सिर्कॉम के मुम्बई स्थित पंजीकृत कार्यालय में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय 19 सितम्बर, 2017 को अप. 1.00 बजे तक है।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली बोलियाँ 19 सितम्बर, 2017 को अप. 2.00 बजे खोली जाएंगी (सिर्कॉम के पंजीकृत कार्यालय, मुंबई में)। बोलीदाताओं को अपनी बोली में वृद्धि करने का अवसर दिया जाएगा।

बिक्री के अन्य विवरण तथा नियमों व शर्तों के लिए कृपया सम्पर्क करें :

- (1) श्री संजय कुमार फोन: (011) 23736738 मोबाइल नं. 9868020160  
(2) श्री शत्रुघ्न कलावर फोन: (022) 66572853 मोबाइल नं. 9869900073

कर्जदार/गारंटर को नोटिस

यह उपरोक्त खाते में कर्जदार/गारंटर के लिए नोटिस भी है। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार सिर्कॉम द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशि के सम्बंध में मासिक शेष, लागत तथा चार्ज आदि के साथ ब्याज एवं बकाया राशि के भुगतान के मामले में आपने चूक की है। इसलिए सिर्कॉम ने धारा 13 (2) के अधीन आप सभी को डिमांड नोटिस जारी किए थे कि 60 दिन के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान कर दें। 60 दिन समाप्त होने के बाद भी आप इस राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। इसलिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अधीन तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के आदेशानुसार भी प्राधिकृत अधिकारी ने 16 जनवरी, 2017 को उपरोक्त खाते में प्रतिभूत परिसंपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

एलडब्ल्यू आपको सूचित किया जाता है कि बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान कर दें अन्यथा संपत्ति को बेच दिया जाएगा तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी। कृपया नोट करें कि डिमांड नोटिस, कब्जा प्राप्त करने, मूल्य निर्धारण तथा बिक्री आदि से सम्बंधित समस्त खर्चों की अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त की जाने वाली बिक्री राशि से कटौती पहले की जाएगी फिर बिक्री राशि की शेष राशि आपको उपरोक्तानुसार देय बकाया ऋण राशि के लिए समायोजित की जाएगी। आप नीलामी के नियमों व शर्तों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी सूचना में वर्णित धरोहर राशि जमा कराने सहित प्रस्ताव के साथ नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हस्ता./-

स्थान : दिल्ली  
दिनांक : 12 अगस्त, 2017

प्राधिकृत अधिकारी  
सिर्कॉम लि.